

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 2-समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ; दिनांक: 19 अप्रैल, 2020

विषय:-कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन को दिनांक 20.04.2020 से कतिपय आपातकाल सेवाओं के संचालन में शिथिलता के फलस्वरूप चिकित्सालयों के लिए निर्देश।

महोदय,


कृपया गृह (गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-264/2020/सी०एक्स०-3 दिनांक 04.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के आ संख्या-40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 15.04.2020 के क्रम में दिनांक 03.05.2020 लॉकडाउन करने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 दिनांक 20.04.2020 से कतिपय गतिविधियों को भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार संचालित किए जाने की अनुमति दी गयी है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी चिकित्सालयों में आकस्मिक आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि:-

- (1) चिकित्सालय के चिकित्सकों/पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड-19 संबंधी प्रोटोकाल तथा इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकाल का समुचित प्रशिक्षण दे दिया गया हो।
- (2) चिकित्सालय में मरीजों की स्कीनिंग (Triage) करने के लिए एक पृथक स्थल सुरक्षित स्कीनिंग व्यवस्था स्थापित एवं क्रियाशील हो।
- (3) चिकित्सालय में सुरक्षात्मक उपकरण जैसे-मास्क, ग्लब्स इत्यादि समुचित मात्रा एवं यथा आवश्यक पी०पी०ई० उपलब्ध हो।
- (4) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार चिकित्सालय परिसर के बाहर अन्दर के समस्त क्षेत्र का 1% प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन द्वारा विसंक्रमित सुनिश्चित किया जाए।
- (5) बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की गाइडलाइंस का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,




( अमित मोहन प्रसाद  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 899(1)/पांच-5-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
2. निदेशक, संचारी रोग, उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र०।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
( प्राणेश चन्द्र शुक्ल )  
उप सचिव।